fnukd 13.07.2016 dk ifj;ktuk fun'kd] vkRek ckdk dh v/;{krk e vk;kftr i[kM rduhdh ic/kd dh cBd dh dk;okgh %&

mifLFkfr % ith e l/kkj.kA

1. प्रखंड स्तर पर आत्मा योजना के कार्यान्वयन हेतु प्रखंड तकनीकी प्रबंधक पूर्ण जबावदेह होगी।

2. खरीफ मौसम 2016–17 में प्रत्येक प्रखंड में श्री विधि तकनीक आधारित धान का तीन प्रत्यक्षण एवं एक–एक किसान पाठशाला से संबंधित प्रतिवेदन अविलम्ब आत्मा कार्यालय को उपलब्ध कराया जाय। साथ ही प्रत्यक्षण पर व्यय कि गई राशि को कृषकों के द्वारा प्रस्तुत अभिश्रव के आधार पर प्रखंड कृषि पदाधिकारी के द्वारा डी0बी0टी0 के माध्यम से शीघ्र कृषकों के खाते में भुगतान किया जाना है।

3. आत्मा कार्यालय बांका द्वारा उपलब्ध कराये गये किसान पाठशाला पंजी में कृषकों का पूर्ण विवरण के साथ–साथ प्रत्यक्षण कीट का प्रविष्टी कर फोटोग्राफी सहित ससमय कार्यालय को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।

4. सभी प्रखंड तकनीकी प्रबंधक को निदेश दिया गया कि 15 दिनों के अन्दर प्रत्येक प्रखंड में एक–एक खाद्य सुरक्षा समूह का गठन अनिवार्य रूप से करना सुनिश्चित करेंगे। साथ ही कृषक हितकारी समूह का गठन कर आत्मा कार्यालय बांका से निबंधित करना सुनिश्चित करेंगे।

5. कृषि विश्वविद्यालय सबौर द्वारा उपलब्ध कराये गये कतरनी धान का बीज जिला के चयनित चार प्रखंडों यथा रजौन, धोरैया, बाराहाट एवं अमरपुर में 10–10 कृषकों के बीच प्रत्यक्षण हेतु उपलब्ध कराया गया है। जिसका स्थल निरीक्षण कर निरीक्षण प्रतिवेदन ससमय कार्यालय को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेंगे।

6. आत्मा योजना अन्तर्गत कार्यरत प्रखंड स्तरीय सभी कर्मियों को निदेश दिया जाता है, कि प्रखंड कृषि पदाधिकारी द्वारा आकस्मिक आवकाश की स्वीकृति के उपरान्त ही मुख्यालय छोड़ेगे एवं अवकाश की सूचना आत्मा कार्यालय बांका को ई–मेल के माध्यम से ससमय भेजना सुनिश्चित करें।

धन्यवाद ज्ञापन के साथ बैठक की कार्यवाही समाप्त की गई।

परियोजना निदेशक
आत्मा, बांका।